इस वाद की सुनवाई दिनांक–06.07.2023, दिनांक–19.09.2023, दिनांक–26.10.2023, दिनांक–12.12.2023, दिनांक–24.04.2024, दिनांक–06.06.2024 तथा दिनांक–09.07.2024, दिनांक–22.08.2024 तथा दिनांक–19.09.2024 को हुई। वादियों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि शंकर पाठक एवं श्री अजय कुमार सिंह तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री संजय कुमार एवं श्री लाल बाबू श्रीवास्तव द्वारा पक्ष रखा गया। जिला प्रशासन की तरफ से श्री दिवाकर दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर तथा श्री जयन्त जायसवाल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

वाद दायर करने के उपरांत अंतिम सुनवाई तक दोनों वादियों द्वारा कोई भी साक्ष्य अपने दावें के समर्थन में "रेकर्ड" पर नहीं लाया गया।

जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराये गये, अंतिम जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–3784 / निर्वा0, दिनांक–18.09.2024 के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, आरा द्वारा जाँचोपरांत निष्कर्ष अंकित किया गया है कि:–

"जाँच के क्रम में वादी द्वारा दिये गये लिखित एवं मौखिक बयान तथा क्षेत्र में स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में संधारित अभिलेखों एवं पंजियों, विद्यालय के "रेकर्ड्स, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र, अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र आदि के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि प्रतिवादी श्री संतोष यादव, पिता–ललित सिंह, वार्ड–16, जगदीशपुर की दो से अधिक संतान है, अथवा इन्होंने अपना भाई का नाम पिता के रूप में अपने पुत्र हेतु प्रयुक्त किया हो। न ही इस तथ्य का कोई साक्ष्य सामने आया कि प्रतिवादी की दो पुत्रियाँ एवं एक पुत्र है। इसके विपरीत उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य प्रतिवादी के मात्र दो संतान–एक पुत्र एवं पुत्री होने की पुष्टि करते है। स्वयं वादी द्वारा रखे गये पक्ष से भी इस तथ्य का समर्थन होता है।"

चूँकि वादी द्वारा अबतक कोई Unimpeachable साक्ष्य अथवा अन्य सहायक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा जिला प्रशासन द्वारा भी प्रथम दृष्ट्या परिवाद को तथ्यहीन एवं निराधार पाया गया है, अतएव वाद को जारी रखना न्यायोचित नहीं है।

उक्त वर्णित स्थिति में रजनी कुमार वाद (L.P.A. No. 566/2017) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा पारित न्याय–निर्णय के आलोक में वादी के अनुरोध/दावें को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
01.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
01.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–10/2023 3692 पटना, दिनांक– 01/X/2024

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **भोजपुर**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

01/X/24
विशेष कार्य पदाधिकारी